

भारत सरकार  
Government of India  
इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय  
Ministry of Electronics & Information Technology  
इलेक्ट्रॉनिक्स निकेतन, 6, सी जी ओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली-110003  
Electronics Niketan, 6, C G O Complex, New Delhi-110003  
Website: www.meity.gov.in

संख्या

No.1.(1)/2022-EG-I

दिनांक

Date.....15.02.2022

श्री अंकुश कुमार पुत्र श्री अनूप कुमार,  
~~मानव पोस्ट-थाना-मोदिन्दपुर,~~  
~~जिला-नवादा, पिन- 805120~~ विहार।

विषय: सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत, श्री अंकुश कुमार से प्राप्त आवेदन।

संदर्भ: इस मंत्रालय (MeitY) के पत्र संख्या 1 (4)2021-आर टीआई दिनांक 02.11.2021।

महोदय,

आपके आरटीआई अनुरोध दिनांक 04.10.2021 और उपरोक्त पत्रों संदर्भ सन्दर्भ ले। जहां तक इस मंत्रालय के तहत ई-गवर्नेंस समूह का संबंध है, संबंधित अधिकारी से प्राप्त आवश्यक जानकारी अनुबंध-1 के रूप में संलग्न है।

2 यह ध्यान दिया जाता है कि आवेदक द्वारा मांगी गई जानकारी स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय से संबंधित है। इसलिए, आवेदक के उक्त आरटीआई अनुरोध को सीपीओ (CPIO), स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग को आरटीआई अधिनियम की धारा 6(3) के तहत सीधे आवेदक को सूचना प्रदान करने के लिए स्थानांतरित भी किया जा रहा है।

3. यदि आप ऊपर दी गई जानकारी से संतुष्ट नहीं हैं, तो आप उपलब्ध कराई गई जानकारी के विरुद्ध निम्नलिखित अपील-आधिकारी में अपील कर सकते हैं।

श्री शोभेन्द्र बहादुर, अपीलीय अधिकारी / निदेशक (ई-शासन),  
इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय,  
इलेक्ट्रॉनिक्स निकेतन, 6, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली - 110003।

भवदीय

डी.के. सागर

(डी.के. सागर)

केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी / उप निर्देशक (ई-शासन)

दूरभाष: 24301234

संलग्न: उपरोक्त

- 1 CPIO/Nodal Officer RTI,  
Department of School education &  
Literacy, Ministry of Education  
Shastri Bhawan, Dr Rajendra  
Prasad Rd, Rajpath Area, Central  
Secretariat, New Delhi-110001

The RTI request of Sh. Ankush kumar is being transferred under Section 6(3) of the RTI Act for providing the information to the applicant directly. However, if the requisite information sought therein does not fall under your jurisdiction, the same may be transferred to the Public Authority to which the subject matter is more closely connected, directly, under intimation to the applicant.

- 2 RTI Cell, MeitY: For information



अनुबंध-1

As per SOP of NSP Scheme Owner Ministries/ Departments/ Other Govt. bodies shall answer the queries of RTI related to Scheme(s), Applications received at NSP, Timelines of the scheme(s), workflow, operations, servers, the content data and transaction data, etc. The SOP document is available at

[https://scholarships.gov.in/public/FAQ/NSP\\_SOP.pdf](https://scholarships.gov.in/public/FAQ/NSP_SOP.pdf)

Application ID BR201819011691219 referred in the attached RTI belongs to the scheme NATIONALMEANS CUM MERIT SCHOLARSHIP run by Department of School Education & Literacy, Ministry of Education, Government of India. The RTI may be transferred accordingly for FNA.

एनएसपी योजना के सम्बंधित मंत्रालयों/विभागों/अन्य सरकार के एसओपी के अनुसार निकायों को योजना (योजनाओं), एनएसपी पर प्राप्त आवेदनों, योजना (योजनाओं) की समयसीमा, कार्यप्रवाह, संचालन, सर्वर, सामग्री डेटा और लेनदेन डेटा आदि से संबंधित आरटीआई के प्रश्नों का उत्तर देना होगा।

दस्तावेज़ (SOP) [https://scholarships.gov.in/public/FAQ/NSP\\_SOP.pdf](https://scholarships.gov.in/public/FAQ/NSP_SOP.pdf) पर उपलब्ध है

संलग्न आरटीआई में संदर्भित आवेदन आईडी बीआर201819011691219 स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा संचालित योजना नेशनल कम मेरिट स्कॉलरशिप से संबंधित है। आगे की आवश्यक कार्रवाई के लिए तदनुसार आरटीआई को स्थानांतरित किया जा सकता है।



RTI

नंबर 1 (4) / 2021 - आरटीआई  
भारत सरकार  
इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय  
इलेक्ट्रॉनिक्स निकेतन, 6, सीजीओ कॉम्प्लेक्स  
आर०टी०आई० प्रकोष्ठ

नई दिल्ली - 110003  
दिनांक: 02.11.2021

विषय: सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अधीन आवेदन-पत्र।

इस मंत्रालय को श्री अंकुश कुमार पुत्र श्री अनूप कुमार, बिहार द्वारा दिनांक 04.10.2021 का आवेदन-पत्र, आर०टी०आई० प्रकोष्ठ में दिनांक 27.10.2021 को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अधीन प्राप्त हुआ है (प्रतिलिपि संलग्न)।

2. आवेदक उपरोक्त आरटीआई आवेदन पत्र में अपने दिनांक 06.08.2021 के शिकायत पत्र के संबंध में की गई कार्यवाही के ब्योरा उपलब्ध कराने के संबंध में है। श्री अंकुश कुमार का दिनांक 06.08.2021 का शिकायत पत्र (कंप्यूटर संख्या 1819388), दिनांक 11.08.2021 को सचिव कार्यालय से अपर सचिव कार्यालय को स्थानांतरित किया गया था एवं अपर सचिव कार्यालय से दिनांक 11.08.2021 को सुश्री उमा चौहान, वैज्ञानिक 'ई', ई-गवर्नेंस डिवीज़न, MeitY को स्थानांतरित किया गया था। अतः उक्त आवेदन से सम्बन्धित सूचना उपलब्ध कराने हेतु संबंधित केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी, ई-गवर्नेंस डिवीज़न, MeitY को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(3) के अंतर्गत अंतरित किया जाता है।

2. यह अनुरोध किया जाता है कि संबंधित जानकारी आवेदन कर्ता को सीधे भेज दी जाए। आवेदन-पत्र के साथ रुपये 10/- का भारतीय पोस्टल आर्डर क्रमशः 56F 822401 आवेदन शुल्क के रूप में प्राप्त हुआ है।

3. यदि मांगी गयी सूचना या सूचना का कोई अंश किसी अन्य केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी से सम्बंधित है तो उक्त आवेदन को सम्बंधित केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(3) के अंतर्गत सूचना प्रदान करने हेतु अंतरित कर दिया जाए।

(संदीप कुमार अम्बस्टा)  
उप निदेशक एवं  
केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी

संलग्न - यथोपरि

सेवा में,

श्री डी. के. सागर  
उपनिदेशक एवं के०लो०सू०अ०  
ई-गवर्नेंस विभाग  
MeitY

प्रतिलिपि: श्री अंकुश कुमार पुत्र श्री अनूप कुमार, बिहार द्वारा दिनांक 04.10.2021 का आवेदन-पत्र, आर०टी०आई० प्रकोष्ठ में दिनांक 27.10.2021 को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अधीन प्राप्त हुआ है (प्रतिलिपि संलग्न)।

तिथि - 04-10-21

केन्द्रीय लोकसूचना पदाधिकारी सह सचिव

इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार

विषय - सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आवेदन

महाशय,

सादर पूर्वक कहना है कि राष्ट्रीय आय सह मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा 2018 के तहत छात्रवृत्ति का भुगतान करने के संबंध में दिनांक 06-08-21 को निबंधित डाक के द्वारा आपके पदनाम पर मेरे आवेदन दिया था। जिसकी छायाप्रति संलग्न है।

उक्त हमारे आवेदन पर की गई कार्यवाई का ब्यौरा उपलब्ध कराने की कृपा की जाय

आवेदन फिस के रूप में पोस्टल आदेश सं- 56F 822401 10 रुपये संलग्न है।

अनुलग्नक में,

- (1) लोकसूचना पदाधिकारी,  
राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद्, बिहार  
महेन्द्र, 44पटना-800006  
कुल पृष्ठ - 04 (चार).
- (2) आवेदन की छायाप्रति  
तिथि:- 06-08-21  
कुल पृष्ठ - 01 (एक)  
कुल पृष्ठ - 05 (पाँच)

आपका विश्वासी  
अंकुश कुमार

तिथि:- 04-10-21

पिता - अनूप कुमार

~~ग्राम-बोधाक-बोधिपुर~~

~~जिला-बोधाक~~

पिन कोड - 805102

मो० नं०:- ~~9734022146~~

~~ANANDKUMAR@GMAIL.COM~~

~~ANANDKUMAR@GMAIL.COM~~

25.10.2021

TD(RTE)

Remail ID 179-R

Office of EA  
Duty No. 21  
25-10-21

25/10/21

CC(RTE) 25/10



सचिव  
इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय,  
भारत सरकार

विषय - राष्ट्रीय आय-सह-मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा 2018 के तहत छात्रवृत्ति का भुगतान करने के संबंध में।

महाशय,

सबिन्ध निवेदन यह है कि उक्त विषय में सादरपूर्वक कहना है कि वर्ष 2018 में राष्ट्रीय आय-सह-मेधा छात्रवृत्ति योजना के तहत मेरा चयन हुआ था।

प्रमाण पत्र में आपके द्वारा दिए गए दिशा निर्देश क्रिडका 127 तक में उल्लिखित सभी दस्तावेज अपने विद्यालय तैलिक वैश्व इंटर विद्यालय, गोविन्दपुर के प्रधानाचार्य के पास जमा कर दिए गए थे। जिसका आवेदन सं. BR201819011691219, दिनांक 30-11-18 है।

लोकसूचना पदाधिकारी,

राज्य शिक्षा एवं प्रशिक्षण परिषद्, बिहार

महेन्द्रु पटना - 800006 के पत्रांक - 37 दिनांक 23-02-21 के सा संलग्न - शिक्षणशास्त्र पाठ्यचर्या एवं मूल्यांकन संकाय, एस० सी० ई० आर० टी० पटना के पत्रांक - 181, दिनांक - 18-02-21 से मांगी गई सूचना की छात्रवृत्ति अनुलग्नक सहित संलग्न में के द्वारा संचित किया गया है कि संबंधित मामले की ऑनलाईन जांच में यह ज्ञात हुआ है कि मेरी उपरोक्त छात्रवृत्ति के लिए भुगतान का मामला प्रक्रियाधीन है। साक्ष्य के लिए पत्रांक में उल्लेखित सभी दस्तावेज संलग्न हैं, कुल पृष्ठ - 04 (चार) हैं। उक्त पत्र फरवरी-2021 में ही प्रक्रियाधीन था, परन्तु लगभग छः माह बीत जाने के बावजूद भी छात्रवृत्ति की राशि का भुगतान नहीं किया गया है।

अतः श्रीमान् से सादर अनुरोध है कि छात्रवृत्ति की राशि का भुगतान करने की कृपा करें। इसके लिए मैं सदा आपका आभारी रहूँगा।

अनुलग्नक में,

- (1) लोकसूचना पदाधिकारी,  
राज्य शिक्षा बोध एवं प्रशिक्षण परिषद्  
बिहार  
महेन्द्रु, पटना - 800006  
कुल पृष्ठ - 04 (चार)

आपका विश्वासी

अंकुश कुमार

तिथि - 06-08-21

पिता - अतुल कुमार

ग्राम - पोरा थाठ - गोविन्दपुर

जिला - नवादा

पिन कोड - 805102